निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1937 (श0)

(सं0 पटना 720) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जुलाई 2015

सं0 ग्रा0वि0 07(स.आ.) 12/2014-235358

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

18 जून 2015

विषयः- 1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानो के आलोक में निष्पक्ष, कारगर एवं पारदर्शी तरीके से सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु बिहार में स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण समिति (Society) के गठन सहित राज्य एवं जिला स्तर पर समिति(Society) के कार्यों के निष्पादन हेतु पदों का सृजन एवं संविदा पर नियोजन की स्वीकृति ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में अनवरत सार्वजनिक सतर्कता (मनरेगा धारा-17) को कारगर करने हेतु संस्थागत समाजिक अंकेक्षण का पहल की अवधारना की गयी है । इस प्रक्रिया का मुल उद्देश्य परियोजनाओं, विधियों तथा नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जबाब देही सुनिश्चित करना एवं जन भागीदारीता से परियोजनाओं का निगरानी करना है। समाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में परियोजनाओं का कार्यान्वयन एजेंसी का दोष पता लगाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका मुल उद्देश्य तथ्यों का पता लगाकर उन्हें दूर करना है । सामाजिक अंकेक्षण में कामगारों के अभिलेख एवं विवरणों का कार्यस्थल पर जांच कर, उनकी सत्यापन एवं परियोजनाओं में व्याप्त शिकायतों का निराकरण करना है ।

2. हाल के वर्षो में विभिन्न योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने की मांग बढ़ती जा रही है । इसका मुख्य कारण विगत कुछ वर्षो से सरकार द्वारा स्थानीय स्तर की योजनाओं के लिए केनद्रांश की राशि तथा राज्यांश की राशि के स्थानान्तरण के तरीके में आए बदलाव के कारण आया है । भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन तथा11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय शहरी निकायों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई जा रही है । इस बदली हुई परिस्थिति में इन संस्थाओं द्वारा एक बड़ी राशि व्यय की जा रही है जिसकी गुणवत्ता को परखने के लिए सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता महसुस की जा रही है ताकि संबंधित योजनाओं में उपयोग की गई राशि के संबंध में यह आकलन किया जा सके कि संबंधित संस्था द्वारा कराया गया कार्य कैसा है ।

3. सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में ग्राम सभा की बैठकों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लाभार्थियों से सीधी सहभागिता प्राप्त करने, कार्यक्रम प्रबंधकों की जबावदेही सुनिश्चित करने, विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने में विभिन्न सामाजिक समुहों के योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मनरेगा एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित अन्य सभी योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण को मुख्य गतिविधि के रूप में रेखांकित करने का निर्देश दिया है । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लिए जाने वाले योजनाओं मनरेगा धारा-17 सभी पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण बर्ष में दो बार कराना अनिवार्य है इसका जिक्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 चौथी सस्करण में 13.2.1 कंडिका मे किया गया है ।

4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लिए गए योजनाओं का पंचायतवार सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए सभी राज्यों को अपनी स्वतंत्र संस्थागत संरचना करनी है । केन्द्र सरकार सभी राज्यों में सामाजिक अंकेक्षण संपन्न कराने हेतु स्वतंत्र संस्थागत संरचना (सामाजिक अंकेक्षणसमिति)) की स्थापना कर विभिन्न पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु राज्यों को सहायता करेगी । इससे संबंधित केन्द्र सरकार का पत्र संख्या M-13015/2/2012-MGNREGA-VII राज्य सरकार को प्राप्त है । इसके अतिरिक्त यदि कोई खर्च होती है तो उसकी वहन मनरेगा आकस्मिक मद से किया जायेगा ।

5. बिहार में स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण समिति(Society) मूलत: मनरेगा योजनान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु पंचायतों में मानव संसाधन विकसीत करेगी तथा सभी पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण करायेगी। यह निदेशालय बिहार के ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्थापित किया जायेगा ।जिसके उद्देश्य निम्न होंगें:-

(क) मनरेगा योजना से होने वाले फायदा के लिए ग्रामीण समुदायों के लाभुकों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने ।

(ख) सामाजिक अंकेक्षण में भाग लेने के लिए ग्रामीण समुदायों के लाभुको को प्रोत्साहित करने एवं इन योजनाओं के बारे में उन्हें प्रशिक्षण के द्वारा योजनाओं के प्रति लाभार्थियों के बीच स्वामित्व की भावना विकसित करना ।

(ग) मनरेगा योजनाओं के तहत लाभुकों का अपने अधिकारों और हकों के बारे जागरूकता पैदा करना ।

(घ) निगरानी तंत्र के रूप में काम करना एवं योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार करना ।

(ङ) सार्वजनिक धन के अपव्यय को कम करने के लिए ।

6. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटीअधिनियम के प्रावधानो के आलोक में निष्पक्ष, कारगर एवं पारदर्शी तरीके से सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण समिति (Society) के गठन की स्वीकृत प्रदान की गयी है । स्वीकृत सामाजिक अंकेक्षण समिति (Society) की संरचना निम्न होगी :-

क्र. स.	**पद का नाम**	**प्रस्तावित पद की सं0**	**मासिक मानदेय**	**वार्षिक व्यय (रू0 लाख में)**
1	निदेशक	1	60,000	7.20
2	सामाजिक अंकेक्षण सलाहकार	1	40,000	4.80
3	राज्य संसाधन सेवी	5	20,000	12.00
4	जिला रिसोर्स पर्सन	62	20,000	148,80
कुल खर्च				172.80

7. सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय(समिति) के लिए एक वित्तीय वर्ष में कुल 172.80 (एक करोड़ बहत्तर लाख अस्सी हजार) रूपये का व्यय आकलित है ।

8. सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय(समिति)में मानदेय का व्यय भारत सरकार से प्राप्त राशि से किया जायगा एवं राज्य योजना/गैर योजना से व्यय नहीं होगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
(ह0) अस्पष्ट,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 720-571+300-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in